रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGD. No. D.L.–33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2014/आश्विन 3, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 108
No. 2] DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2014/ASVINA 3, 1936 [N.C.T.D. No. 108

भाग—III
PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 सितम्बर, 2014

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा हेतु नेट मीटरिंग) विनियम, 2014

सं. एफ. 9(116)/डीईआरसी/टैरिफ/डीएस/2013–14/4110/1493.—दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 61 तथा 86(1)(ङ) के साथ पठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सक्षमकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक के लिए नेट मीटरिंग और ग्रिड संयोजकता हेतु निम्नलिखित विनियम बना रहा है।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभन

(1) ये विनियम दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा हेतु नेट मीटरिंग) विनियम, 2014 कहे जाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं है,

(1) "सटीकता श्रेणी सूचकांक" का अर्थ वह सूचकांक होगा जैसा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन एवं प्रचालन) विनियमावली, 2006 और उसके अनुवर्ती संशोधनों में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(2) "अधिनियम" का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) और उसके अनुवर्ती संशोधन है;

(3) "कनेक्शन अनुबंध" का अर्थ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को वितरण प्रणाली से जोड़ने के लिए किया गया अनुबंध है;

(4) "बैंकिंग" का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके तहत कोई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ग्रिड में एक काल खंड में विद्युत का अंतःक्षेपण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्था तंत्र और संबंधित मामले) विनियमावली, 2014 और

उसके अनुवर्ती संशोधनों के अधीन एक भिन्न काल खंड में ग्रिड से विद्युत प्रत्याहरण की सुविधा के साथ करता है;

(5) "बिलिंग चक्र" का अर्थ वह अवधि है जिसके लिए बिल बनाया जाता है;

(6) "आयोग" का अर्थ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग है;

(7) "संबद्ध भार" अथवा "संविदा मांग" अथवा "स्वीकृत भार" का अर्थ वही होगा, जैसाकि दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता और निष्पादन मानक विनियम, 2007 के अधीन विनियम 2 के क्लॉज (ढ), (ण) तथा (यढ) में परिभाषित किया गया है ;

(8) "वित्तीय वर्ष" अथवा "वर्ष" का अर्थ किसी अंग्रेजी कलैंडर वर्ष में अप्रैल के पहले दिन से प्रारंभ होकर अगले वर्ष इकतीस मार्च को समाप्त होने वाली अवधि है;

(9) "अंतरसंयोजन बिन्दु" का अर्थ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का वितरण लाइसेंसधारक की मेइनों का अंतरापृष्ठ है;

(10) "बीजक" का अर्थ वितरण लाइसेंसधारक द्वारा तैयार किया गया आवधिक बिल/अनुपूरक बिल अथवा आवधिक बीजक/अनुपूरक बीजक है ;

(11) "kVAh" का अर्थ किलो वाट एम्पियर घंटा है;

(12) "kWp" का अर्थ किलो वाट शीर्ष है;

(13) "नेट मीटर" का अर्थ विद्युत के आयात और निर्यात दोनों रिकॉर्ड करने हेतु सक्षम उपयुक्त ऊर्जा मीटर अथवा यथास्थिति विद्युत के शुद्ध आयात और शुद्ध निर्यात प्रत्येक को रिकॉर्ड करने हेतु पृथक मीटरों का युग्म है;

(14) "वचनबद्ध संस्था" का अर्थ नवीकरणीय क्रय दायित्व पूर्ण करने के लिए अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के क्लॉज (ङ) के अधीन आदेशित और डीईआरसी (नवीकरणीय क्रय दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र संरचना कार्यान्वयन) विनियम, 2012 के अधीन चिन्हित संस्था है;

(15) "परिसर" में कोई भूमि, भवन, संरचना अथवा ऊपरी छत या उसका कोई भाग या संयोजन सम्मिलित है;

(16) "नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी)" का अर्थ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 तथा उसके अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार जारी किया गया प्रमाणपत्र है ;

(17) "नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक" का अर्थ वह व्यक्ति है, जो परिसर का उपभोक्ता अथवा कोई तीसरा पक्ष हो सकता है, जो उपभोक्ता के परिसर में संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन के लिए जिम्मेदार है ;

(18) "नवीकरणीय ऊर्जा मीटर" का अर्थ वह एकदिशीय ऊर्जा मीटर है जो उपभोक्ता के परिसर में संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन दर्ज करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए संस्थापित और प्रयुक्त किया जाता है;

(19) "नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली" का अर्थ ऐसे स्रोत (स्रोतों) से विद्युत उत्पादन करने की प्रणाली है, जिसको नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) अथवा भारत सरकार/आयोग द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (स्रोतों) के रूप में मान्यता प्राप्त है ;

(20) "राज्य एजेंसी" का अर्थ आयोग द्वारा डीईआरसी (नवीकरणीय क्रय दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र संरचना कार्यान्वयन) विनियमावली, 2012 के उप-विनियम (6) के अधीन नामित एजेंसी है;

3. **निर्वचन**

(1) इन विनियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो यद्यपि इन विनियमों में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उनको अधिनियम में निर्दिष्ट है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो यद्यपि इन विनियमों में अथवा अधिनियम में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई हैं, परंतु संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन अथवा आयोग द्वारा जारी, राज्य में विद्युत उद्योग हेतु लागू, किसी विनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उनको ऐसी विधि/विनियम में निर्दिष्ट है।

(3) इन विनियमों की परिच्छेदों के हिंदी और अंग्रेजी पाठ्यांतर के निर्वचन में असंगति की दशा में, अंग्रेजी अनुवाद का मूलपाठ प्रामाणिक होगा ।

4. **कार्यक्षेत्र और लागू होना**

(1) ये विनियम उन उपभोक्ताओं पर लागू होंगे जो वितरण लाइसेंसी से इसके आपूर्ति के क्षेत्र में और वितरण लाइसेंसी से ऊर्जा/विद्युत के क्रेता हैं।

(2) नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, लागू विधि के तहत समय-समय पर निर्धारित मानकों और तकनीकी विनिर्देशों का पालन करेगी।

5. **सामान्य शर्तें**

(1) वितरण लाइसेंसी परिचालन बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को, संयोजकता पहले आओ पहले सेवा पाओ आधार पर प्रदान करेगा :

परंतु कि इन विनियमों के अधीन संयोजकता की अनुमति दिए जाने वाले किसी विशिष्ट वितरण ट्रांसफार्मर की उपलब्ध क्षमता आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट सीमा से कम नहीं होगी ।

(2) वितरण लाइसेंसी नेट मीटरिंग व्यवस्था के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के साथ जोड़ने के लिए उपलब्ध वितरण ट्रांसफार्मर स्तर क्षमता के संबंध में जानकारी अपनी वेबसाइट पर इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से 1 (एक) माह के भीतर प्रदान करेगा तथा अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के 7 कार्यदिवसों के भीतर आयोग को सूचित करते हुए इस जानकारी को अद्यतन करेगा।

(3) किसी भी परिसर में संस्थापित की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता निम्नलिखित पर निर्भर होगी:

(i) ग्रिड के साथ अंतरसंयोजन की संभाव्यता;
(ii) परिसर के उपभोक्ताओं के सर्विस लाइन कनेक्शन की उपलब्ध क्षमता; और
(iii) परिसर के उपभोक्ता का स्वीकृत भार ;

(4) विनियम 5(3)(i) एवं 5(3)(ii) के अधीन, यदि कोई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक परिसर के उपभोक्ता के स्वीकृत भार से अधिक क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली पहले ही संस्थापित कर चुका है अथवा संस्थापित करने का इच्छुक है, और इसको वितरण लाइसेंसी की प्रणाली के साथ जोड़ना चाहता है, तब परिसर के ऐसे उपभोक्ता को नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के पंजीकरण के समय पर सर्विस लाइन एवं विकास (एसएलडी) प्रभार अदा करना होगा, जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता और स्वीकृत भार के संवर्धन की लाइनों पर मौजूदा स्वीकृत भार के बीच एसएलडी प्रभार की अंतर राशि के बराबर होगा, जैसाकि दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता और निष्पादन मानक विनियम, 2007 समय–समय पर संशोधित और आयोग द्वारा समय–समय पर उसके संबंध में जारी किए गए संबद्ध आदेशों में निर्धारित है।

(5) किसी उपभोक्ता के परिसर में संस्थापित की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की क्षमता एक किलो वाट शीर्ष से कम नहीं होगी।

6. **आवेदन और पंजीकरण हेतु प्रक्रिया**

(1) आयोग इन विनियमों के अधीन वितरण प्रणाली के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली जोड़ने हेतु आवेदन जमा करने तथा संसाधित करने और उसके लागू शुल्क के संबंध में समय–समय पर दिशानिर्देश और निर्देश जारी कर सकता है तथा वितरण लाइसेंसी, परिसर के उपभोक्ता और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक को उनका पालन करना होगा।

(2) परिसर का उपभोक्ता तथा/अथवा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक, जैसा भी मामला है, वितरण प्रणाली के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली जोड़ने हेतु अपना आवेदन संबंधित वितरण लाइसेंसी को देगा। वितरण लाइसेंसी अपनी वेबसाइट तथा स्थानीय कार्यालयों में इन सभी प्रपत्रों को उपलब्ध कराएगा।

(3) वितरण लाइसेंसी आवेदन प्राप्ति की पावति देगा तथा इन विनियमों के अधीन जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदक को उपयुक्त सूचना भेजने सहित समस्त आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

7 **अंतरसंयोजन, मानक और सुरक्षा**

(1) वितरण लाइसेंसी सुनिश्चित करेगा कि :–

(i) लाइसेंसी की वितरण प्रणाली के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अंतरसंयोजन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों की संयोजकता हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2013, समय–समय पर संशोधित, में दिए गए विनिर्देशों, मानकों तथा प्रावधानों के समनुरूप है ;

(ii) लाइसेंसी की वितरण प्रणाली के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का अंतरसंयोजन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010, समय–समय पर संशोधित, के संबद्ध प्रावधानों के समनुरूप है ।

(2) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक द्वारा बैटरी बैक अप सहित या रहित ग्रिड अंतरसक्रिय नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का संस्थापन किया जाएगा :

परंतु यदि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक बैटरी बैकअप (पूर्ण भार बैकअप/आंशिक भार बैकअप) सहित संयोजन को प्राथमिकता देता है, तब ऐसे सभी मामलों में ग्रिड आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में बैटरी/विकेंद्रीकृत उत्पादन (डीजी) विद्युत का प्रवाह ग्रिड में रोकने के लिए इनवर्टर में अलग बैकअप वायरिंग होगी तथा मैनुअल पृथक्करण स्विच भी लगाया जाएगा।

(3) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक नेट मीटर के प्वाइंट तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के सुरक्षित प्रचालन, अनुरक्षण और किसी भी खराबी के सुधार हेतु जिम्मेदार होगा, जिसके आगे नेट मीटर सहित नेट मीटर के प्वाइंट तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के सुरक्षित प्रचालन, अनुरक्षण और किसी भी खराबी के सुधार की जिम्मेदारी वितरण लाइसेंसी की होगी।

(4) वितरण लाइसेंसी को नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से इसकी वितरण प्रणाली को संभावित खतरे/क्षति की स्थिति में, दुर्घटना या क्षति रोकने के लिए, किसी भी समय नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली विसंयोजित करने का अधिकार होगा। ऊपर विनियम 7(3) के अधीन, वितरण लाइसेंसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक से तर्कसंगत समय के भीतर खराबी दूर करने की मांग कर सकता है।

8. मीटरिंग व्यवस्था

(1) सभी मीटर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समय–समय पर संशोधित (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 और (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2010 में दिए गए मानकों के अनुरूप होंगे।

(2) नेट मीटर, सिंगल फेस या थ्री फेस की आवश्यकता के अनुसार होगा। नेट मीटरिंग के लिए संस्थापित किए जाने वाले सभी मीटर इसके परिसर में संस्थापित मौजूदा मीटर के समान अथवा बेहतर सटीकता श्रेणी सूचकांक वाले होंगे।

(3) उपभोक्ता के परिसर में नवीकरणीय ऊर्जा मीटर और नेट मीटर दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता और निष्पादन मानक विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार वितरण लाइसेंसी द्वारा क्रय और संस्थापित किए जाएंगे। तथापि, यदि परिसर का उपभोक्ता नेट मीटर क्रय करना चाहता है, वह ऐसा मीटर क्रय कर सकता है और उसकी जांच एवं संस्थापन के लिए वितरण लाइसेंसी को देगा।

(4) नवीकरणीय ऊर्जा मीटर सहित सभी मीटर परिसर की आसानी से पहुंची जा सकने वाली जगह पर लगाए जाएंगे, ताकि वितरण लाइसेंसी मीटर रीडिंग के लिए आसानी से पहुंच सके।

(5) नवीकरणीय ऊर्जा मीटर की लागत वितरण लाइसेंसी द्वारा वहन की जाएगी तथा नेट मीटर की लागत परिसर के उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी। परिसर का उपभोक्ता अथवा वितरण लाइसेंसी, जो भी इच्छुक है अपनी स्वयं की लागत पर जांच मीटर लगवा सकता है।

(6) नेट मीटर की जांच और संस्थापन के प्रभार परिसर के उपभोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे तथा नवीकरणीय ऊर्जा मीटर हेतु वितरण लाइसेंसी द्वारा वहन किए जाएंगे।

(7) दिन के समय के टैरिफ (टीओडी) के दायरे में आने वाले परिसर के उपभोक्ता के लिए संस्थापित किए जाने वाले नेट मीटर दिन के समय के टैरिफ (टीओडी) अनुसारी होंगे।

9. बिलिंग और ऊर्जा लेखांकन

(1) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक द्वारा इन विनियमों के अधीन उत्पादन, उपभोग और अंतक्षेपित की गई विद्युत इन विनियमों के अधीन वितरण प्रणाली के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के साथ जोड़े जाने की तिथि से लागू होगी।

(2) बिलिंग और ऊर्जा लेखांकन हेतु प्रक्रिया आयोग द्वारा समय–समय पर निर्देशितानुसार लागू होगी।

(3) वितरण लाइसेंसी उपभोक्ता के संबंधित बिल अवधि के बिल में, निर्यात की गई ऊर्जा, आयात की गई ऊर्जा, बिल की गई नेट ऊर्जा यूनिट तथा/अथवा अग्रेषित ऊर्जा यूनिट, यदि कोई हो, को अलग–अलग दर्शाएगा।

(4) यदि बिलिंग अवधि के दौरान, निर्यात की गई यूनिट उपभोग की गई आयात यूनिटों से अधिक होती है, उपभोक्ता द्वार अंतःक्षेपित ऐसी अतिरिक्त यूनिट अगली बिलिंग अवधि में ऊर्जा क्रेडिट के रूप में अग्रेषित की जाएंगी तथा व्यवस्था अवधि के भीतर अनुवर्ती बिलिंग अवधियों में उपभोग की गई ऊर्जा के विरुद्ध समायोजन हेतु उपभोक्ता द्वारा निर्यात की गई उपभोक्ता द्वारा के रूप में दर्शाई जाएगी।

(5) किसी भी बिलिंग चक्र के दौरान, वितरण लाइसेंसी पिछले बिलिंग चक्र (चक्रों) के ऊर्जा क्रेडिट के समायोजन/गणना शुद्धि के बाद नेट विद्युत उपभोग के लिए बीजक, लागू टैरिफ के अनुसार, तैयार करेगा।

(6) किलो–वाट घंटा में मापी गई अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग केवल किलो वाट घंटा में मापी गई खपत बराबर करने के लिए किया जाएगा, जब तक कि आयोग द्वारा समय–समय पर अन्य प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। उपभोक्ता को केवीएएच में बिल किए जाने की स्थिति में, ग्रिड को अतिरिक्त ऊर्जा के अंतःक्षेपण के दौरान, पावर फैक्टर एक के बराबर माना जाएगा।

(7) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, कोई भी ऊर्जा क्रेडिट, जो असमायोजित रहता है, का उपभोक्ता को भुगतान वितरण लाइसेंसी द्वारा आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दरों पर किया जाएगा।

(8) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक अथवा परिसर के उपभोक्ता को कोई सम उत्पादन प्रभार देय नहीं होगा।

10. अन्य प्रभारों की प्रयोजनीयता

नेट मीटरिंग प्रणाली के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को चक्रण, बैंकिंग, क्रॉस सब्सिडी और अन्य प्रभारों से पांच वर्ष की अवधि के लिए छूट प्राप्त होगी, जब तक कि यह अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाती है।

11. **नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र क्रियाविधि के अधीन प्रतिभागिता हेतु पात्रता**

नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र और इन विनियमों के अधीन ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के निर्गम हेतु पात्रता केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 और उसकें अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार होगी;

12. **नवीकरणीय क्रय दायित्व**

इन विनियमों के अधीन उत्पादन की गई विद्युत की मात्रा वितरण लाइसेंसी के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन योग्य होगी, यदि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक एक सदायित्व संस्था नहीं है।

13. **विनियमों का उल्लंघन:**

(1) किसी पक्ष यथा उपभोक्ता, वितरण लाइसेंसी और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक द्वारा इन विनियमों के उल्लंघन की स्थिति में वह पक्ष आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक दंड का भागी होगा।

(2) आयोग प्रभावित पक्ष को क्षतिपूर्ति मंजूर कर सकता है।

14. **निर्देश देने हेतु शक्तियां**

आयोग समय–समय पर ऐसे निर्देश/दिशानिर्देश/आदेश जारी कर सकता है, जो इन विनियमों को लागू करने हेतु उचित/उपयुक्त विचारित किए जाते हैं।

15. **छूट देने हेतु शक्तियां**

आयोग सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों के आधार पर, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर अथवा किसी हितधारी व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है।

16. **संशोधन हेतु शक्तियां**

आयोग को समय–समय पर इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में कुछ जोड़ने, बदलने, संशोधित करने, निलंबित करने, किंचित परिवर्तन करने, सुधार करने या रद्द करने का अधिकार है।

जयश्री रघुरमन, सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 25th September, 2014

Delhi Electricity Regulatory Commission (Net Metering for Renewable Energy) Regulations, 2014

No. F. 9(116)/DERC/Tariff/DS/2013-14/C.F 4110/ 1493.—In exercise of powers conferred under Section 181 read with Sections 61 and 86(1) (e) of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations for Net Metering and grid connectivity for Renewable Energy Generator.

1. **Short title and commencement**

(3) These regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Net Metering for Renewable Energy) Regulations, 2014.

(4) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**

In these regulations, unless the context otherwise requires,

(1) "accuracy class index" shall mean the index as specified in Central Electricity Authority (Installation & operation of meters) Regulations 2006 and subsequent amendments thereof;

(2) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and subsequent amendments thereof;

(3) "connection agreement" means the agreement entered into for connecting Renewable Energy Source to the Distribution system;

3884 DG/14-2

(4) "banking" means the process under which a Renewable Energy Source injects power into the grid in a time block with the facility to draw back the power from the grid at a different time block under the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 and subsequent amendments thereof;

(5) "billing cycle" means the period for which bill is raised;

(6) "Commission" means Delhi Electricity Regulatory Commission;

(7) "connected load" or "contract demand" or "sanctioned load" shall have the same meaning as defined in clause (n), (o) and (zn) of Regulation 2 respectively under Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards Regulations 2007;

(8) "financial year" or "year" means the period beginning from first day of April in an English calendar year and ending with the thirty first day of March of the next year;

(9) "interconnection point" means the interface of Renewable Energy source with the network of distribution licensee;

(10) "invoice" means either a periodic bill / supplementary bill or a periodic Invoice/ supplementary invoice raised by the Distribution Licensee;

(11) "kVAh" means kilo volt ampere hour ;

(12) "kWp" means kilo watt peak;

(13) "net meter" means an appropriate energy meter capable of recording both import & export of electricity or a pair of meters one each for recording the net import and net export of electricity as the case may be;

(14) "Obligated Entity" means the entity mandated under clause (e) of sub-section (1) of section 86 of the Act to fulfill the renewable purchase obligation and identified under DERC (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations 2012;

(15) "premises" includes any land, building, structure or rooftop or part or combination thereof;

(16) "Renewable Energy Certificate (REC)" means the certificate issued in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Recognition and Issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 and subsequent amendments thereof;

(17) "renewable energy generator" means the person, which may either be the consumer of the premises or any third party, who is responsible for generating electricity from Renewable Energy sources installed at the consumer's premises;

(18) "renewable energy meter" refers to a unidirectional energy meter, installed and used solely to record the renewable energy generation from the Renewable Energy System installed at the consumer's premises;

(19) "renewable energy system" means the system to generate electricity from such source(s) which are recognized as renewable energy source(s) by Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) or any other agency as may be notified by Government of India/Commission;

(20) "State Agency" means the agency as designated by the Commission under sub-regulation (6) of DERC (Renewable Purchase Obligation & Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2012.

3. **Interpretation**

(1) All other words and expressions used in these Regulations although not specifically defined herein, but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act.

(2) The other words and expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act but defined under any law passed by the Parliament or any regulation issued by the Commission, applicable to the electricity industry in the State, shall have the meaning assigned to them in such law/regulation.

(3) In case of any variation in interpretation of clauses of the English and Hindi version, the text of English version of these regulations shall be authoritative.

4. Scope and application

(1) These Regulations shall apply to such consumers who are a buyer of energy/electricity from the distribution licensee in its area of supply and the distribution licensee.

(2) The Renewable Energy System shall comply with the standards and technical specifications as may be prescribed from time to time under the applicable law.

i. General conditions

(1) The Distribution Licensee shall allow connectivity to the Renewable Energy System, on first come first serve basis, subject to operational constraints :

Provided that the available capacity at a particular distribution transformer, to be allowed for connectivity under these Regulations, shall not be less than the limits as specified by the Commission from time to time.

(2) The Distribution Licensee shall provide information regarding distribution transformer level capacity available for connecting Renewable Energy System under net metering arrangement within 1 (one) month from the date of notification of these regulations on its website and shall update the same within 7 working days of the subsequent financial year under intimation to the Commission.

(3) The capacity of Renewable Energy System to be installed at any premises shall be subject to;

1. the feasibility of interconnection with the grid;

2. the available capacity of the service line connection of the consumers of the premises; and

3. the sanctioned load of the Consumer of the premises;

(4) Subject to Regulation 5(3)(i) & 5(3)(ii), if a Renewable Energy Generator has already installed or intends to install a Renewable Energy System of capacity higher than the sanctioned load of the consumer of the premises, and requires to connect it with the distribution licensee's system, then such Consumer of premises shall pay Service Line cum Development (SLD) charges at the time of registration of Renewable Energy System, equal to the differential amount of SLD charges between the capacity of the Renewable Energy System and the existing sanctioned load on the lines of enhancement of sanctioned load, as prescribed in the DERC Supply Code & Performance Standards, Regulations, 2007 as amended from time to time and relevant orders issued thereof by the Commission from time to time.

(5) The capacity of Renewable Energy system to be installed at the Premises of any consumer shall not be less than one kilo watt peak.

6. Procedure for Application and Registration

(1) The Commission may issue guidelines and directions from time to time in respect of submission and processing of the application and applicable fee there-off for connectivity of Renewable Energy System with the distribution system under these Regulations which the Distribution Licensee, consumer of the premises and the Renewable Energy Generator shall abide by.

(2) The consumer of the premises and/ or the Renewable Energy Generator, as the case may be, shall submit the application to the concerned Distribution Licensee to connect the Renewable Energy system to the distribution system of the Distribution. The Distribution Licensee shall make available all the forms on their website and at their local offices.

(3) The Distribution Licensee shall acknowledge the application and take all necessary actions including sending appropriate communications to the applicant as per the guidelines issued under these Regulations.

7. Interconnectivity, Standards and Safety

(1) The distribution licensee shall ensure that:-

(i) the interconnection of the Renewable Energy System with the distribution system of the licensee conforms to the specifications, standards and provisions as provided in the Central Electricity Authority (Technical Standards for connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013, as amended from time to time;

(ii) the interconnection of the Renewable Energy System with the distribution system of the licensee conforms to the relevant provisions of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply), Regulations, 2010, as amended from time to time

(2) The Renewable Energy Generator may install grid interactive Renewable Energy system with or without battery backup.

Provided that if the Renewable Energy Generator, prefers connectivity with battery backup (full load backup/partial load backup), in all such cases the inverter shall have separate backup wiring to prevent the battery/Decentralized generation (DG) power to flow into the grid in the absence of grid supply and manual isolation switch shall also be provided.

(3) The Renewable Energy Generator shall be responsible for safe operation, maintenance and rectification of any defect of the Renewable Energy System upto the point of Net Meter beyond which the responsibility of safe operation, maintenance and rectification of any defect in the system, including the Net Meter, shall rest with the Distribution Licensee.

(4) The Distribution Licensee shall have the right to disconnect the Renewable Energy System at any time in the event of possible threat/damage, from such Renewable Energy System to its distribution system, to prevent an accident or damage. Subject to Regulation 7 (3) above, the Distribution Licensee may call upon the Renewable Energy Generator to rectify the defect within a reasonable time.

8. Metering arrangement

(1) All the meters shall adhere to the standards as specified in CEA (Installation and Operation of meters) Regulations, 2006 and (Installation and Operation of meters) Regulations, 2010 as amended from time to time.

(2) The Net Meter shall be, as per single phase or three phase requirement. All the meters to be installed for net metering shall be of the same or better Accuracy Class Index than the existing meter installed at its Premises.

(3) The Renewable Energy Meter and the Net Meter at the premises of the consumer shall be procured and installed by the Distribution Licensee as per the provisions of DERC (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2007. However, if the consumer of the premises wishes to procure the Net Meter, he may procure such meter and present the same to the distribution licensee for testing and installation.

(4) All meters, including the Renewable Energy Meter shall be installed at an accessible location of the Premises to facilitate easy access for meter reading to the Distribution Licensee.

(5) The cost of Renewable Energy Meter shall be borne by the distribution licensee and the cost of Net Meter shall be borne by the consumer of the premises. The consumer of the premises or the distribution licensee, who so ever if desires, may install check meter at their own cost.

(6) The charges for the testing and installation of the Net Meters shall be borne by the consumer of the premises and for the Renewable Energy Meter shall be borne by the Distribution Licensee.

(7) The Net Meters to be installed for the consumers of the premises under the ambit of time of day tariff shall be time of day (ToD) compliant.

9. Billing and Energy Accounting

(1) The accounting of electricity generated, consumed and injected by the Renewable Energy Generator under these regulations shall become effective from the date of connectivity of Renewable Energy System with the distribution system under these Regulations.

(2) The procedure for billing and energy accounting shall be applicable as directed by the Commission from time to time.

(3) The Distribution Licensee shall show, separately, the energy units exported, the energy units imported, the net energy units billed and/or the energy units carried forward, if any, to the consumer in their bill for the respective billing period.

(4) If during any billing period, the export of units exceeds the import of units consumed, such surplus units injected by the consumer shall be carried forward to the next billing period as energy credit and shown as energy exported by the consumer for adjustment against the energy consumed in subsequent billing periods within the settlement period.

(5) During any billing cycle, the distribution licensee shall raise invoice for the net electricity consumption, as per applicable tariff, only after adjusting / netting off of the unadjusted energy credits of the previous billing cycle(s).

(6) The surplus energy measured in kilo-watt hour shall be utilized to offset the consumption measured in kilo-watt hour only unless otherwise allowed by the Commission from time to time. In case the Consumer is billed on kVAh, during injection of surplus energy to the grid, the Power Factor shall be assumed equal to unity.

(7) At the end of the each Financial Year, any net energy credits, which remain unadjusted, shall be paid for by the distribution licensee to the consumers as per the rates notified by the Commission from time to time.

(8) There shall be no deemed generation charges payable to the Renewable Energy Generator or consumer of the premises.

10. Applicability of other charges

The Renewable Energy system under net metering arrangement shall be exempted from wheeling, banking, cross subsidy and other charges for a period of Five years, unless extended thereafter.

11. Eligibility to Participate under Renewable Energy Certificate Mechanism

The eligibility for Renewable Energy Certificate and issue of such certificate Renewable Energy under these Regulations shall be as per the eligibility criteria specified under Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Recognition and Issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010 and subsequent amendments thereof;

12. Renewable Purchase Obligation

The quantum of electricity generated under these Regulations shall qualify towards compliance of Renewable Purchase Obligation (RPO) for the distribution licensee if Renewable Energy Generator is not an obligated entity.

13. Violation of regulations:

(1) In case of violation of these regulations by a party viz. consumer, distribution licensee and Renewable Energy Generator shall be liable to pay penalty as decided by the Commission.

(2) The Commission may grant compensation to the affected party.

14. Powers to give directions

The Commission may from time to time issue such directions/guidelines/ orders as it may consider deemed fit/appropriate for the implementation of these Regulations.

15. Powers to relax

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

16. Powers to amend

The Commission may from time to time add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any provisions of these Regulations.

JAYSHREE RAGHURAMAN, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.